



# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141-2703544

फैक्स नं: 0141-2701822

क्रमांक-रास्कूशिप/जय/संस्था-2/प्लेसमेंट-जिला एवं ब्लॉक/2019/124

दिनांक 6-4-2021

## कार्यालय आदेश

शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ (55)/आर.एस.एस.ए.ए./एवी-एमजीआरएसबीवाई/यू.एच.सी./2021/623 दिनांक 02.04.2021 के अनुसार दिनांक 1 मई, 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है जिसमें प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों एवं लघु एवं सीमांत कृषकों को भी नि:शुल्क एवं अन्य परिवारों को प्रीमियम राशि के प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत भुगतान पर योजनान्तर्गत लाभ दिया जायेगा।

उक्त योजना के संचालन हेतु प्रत्येक विभाग द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाकर उनकी एसएसओ आईडी को सॉफ्टवेयर से मैप किया जाना है ताकि नोडल अधिकारी संविदाकर्मियों की सूचना सत्यापित कर सके।

स्थानीय परिषद् कार्यालय से उक्त योजना हेतु श्रीमती ममता दाधीच, संयुक्त निदेशक (प्रशासन/संस्थापन), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर (मोबाईल.नं. 9829897027) को नामित किया जाता है। इनकी एसएसओ आईडी भिजवाई जा रही है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

6.4.21

(एम.आर. बागडिया)

अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम

क्रमांक-रास्कूशिप/जय/संस्था-2/प्लेसमेंट-जिला एवं ब्लॉक/2019/124

दिनांक

6-4-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. राजस्थान स्टेट, हेल्थ एश्योरेन्स एजेंसी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, आरटीडीसी मुख्यालय (स्वागत होटल परिसर), रेलवे स्टेशन, जयपुर।
5. समस्त प्रभाग प्रभारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. कार्यालय प्रति।

ममता दाधीच  
संयुक्त निदेशक  
06/04/2021